classmate
Date
Page

DATE: 20/10/20

CLASS: B.A(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SC.

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 11 (THE COUNCIL OF MINISTERS AND CHIEF MINISTER)

LECTURE NO. 15

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL.SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन व भत्ते —

मंत्रियों के वेतन व भत्ते राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए विभिन्न राज्यों की स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। मंत्रियों को वेतन के अलावा मुफ्त आवास सहित कई अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं।

राज्य मंत्रिपरिषद का कार्यकाल एवं उत्तरदायित्व —

इसका कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्यतः इसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही है।

व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। अर्थात मंत्री व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो जाए या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक अस्वीकृत हो जाए तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग-पत्र देना होता है। इस प्रकार मंत्री या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिये जाते हैं, सभी मंत्रियों को उनका समर्थन करना होता है, चाहे

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

व्यक्तिगत रूप से वे इस निर्णय से सहमत हों या न हों।

नीति सम्बन्धी मामलों मंत्री मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए सम्बंधित मंत्री ही उत्तरदायी है, समस्त मंत्रि-परिषद नहीं।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक—

मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल या कैबिनेट है, इसके द्वारा ही सभी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं इसके लिए बैठकों का आयोजन किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है, वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। इन बैठकों का कोई कोरम (गणपूर्ति) नहीं होता है।

मंत्रिमंडल की कार्यवाही के प्रमुख नियम—

मंत्रिमंडल की कार्यवाही के दो प्रमुख नियम हैं—

(i) सामूहिक उत्तरदायित्व — एकमत से निर्णय

(ii) गोपनीयता — गोपनीयता की ली गई शपथ की वजह से सभी सदस्य मंत्रिमंडल की निर्णय को गुप्त रखते हैं। यदि किसी द्वारा गोपनीयता भंग की जाती है, तो उसे त्यागपत्र देना होता है